

स्वच्छता को अपनाए, दूसरों के लिए गंदगी न फैलाएं गांधी जंयती और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नगर निगम ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पूरे शहर में दिया स्वच्छता का संदेश

रत्नाम 02 अक्टूबर। महात्मा गांधी ने सदैव समग्र स्वच्छता की पैरोकारी की और सम्पूर्ण स्वच्छता के लिए इसे आवश्यक बताया। गांधी जी ने हमें यह दायित्व-बोध करवाया कि हम दूसरों के लिए गंदगी न फैलाएं। खुद जो गंदगी फैलाएं, उसकी सफाई भी स्वयं करें। इसमें ऊँच—नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश और नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के कुशल मार्गदर्शन में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के छठवें दिन 2 अक्टूबर को स्वच्छता से जुड़े विभिन्न गतिविधियों के दौरान उक्त विचार निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने व्यक्त किए।

इस मौके पर स्वास्थ्य अधिकारी अरविन्द प्रताप सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी का कहना था कि साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखना किसी एक तबके का काम नहीं है, इसमें सभी की भागीदारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बापू ने साफ सुथरे हिन्दुस्तान का जो ख्वाब देखा था, वो अब धीरे—धीरे पूरा होने लगा है। अब हम सब शहरवासियों का भी दायित्व है कि गांधी जंयती के इस मौके पर रत्नाम शहर को स्वच्छ और सुंदर बना कर प्लास्टिक मुक्त बनाए।

शनिवार को स्वच्छता गतिविधियों को लेकर आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग सहित नगर निगम की अन्य शाखाओं के प्रमुखों को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद नगर निगम का अमला सबसे पहले नगर निगम कार्यालय के सामने स्थित गांधीजी की प्रतिमा पर पहुंचा और वहां बापू की प्रतिमा पर माल्यापर्ण किया। यहां पर महात्मा गांधी के स्वच्छता पर विचार विषय पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी अरविन्द प्रतापसिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान, पर्वत हाड़े, हेमन्त बंदोड़िया आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सफाई मित्र समूह की टीम, द ग्रोइंग इण्डिया फाउन्डेशन के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

सब्जी, फल व होटल वालों को कपड़े की थैलियों का वितरण

स्वच्छता गतिविधियों के तहत आज सफाई मित्र समूह व नगर निगम की टीम ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में फल, सब्जी बैचने और होटल संचालित करने वालों को अमानक प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करने की समझाईश दी गई है। इस मौके पर शैलन्द्र गोठवाल और सफाई मित्र समूह की टीम के सदस्यों ने इन छुटकर व्यापारियों को अमानक प्लास्टीक थैलियों का उपयोग करने पर होने वाले जुर्माने से भी अवगत कराया और इन सभी कपड़ों से बनी थैलियों का वितरण किया। यहां सब्जी, फल और नमकीन आदि खरीदने आए लोगों से भी अनुराध किया गया कि वे अपने घरों से कपड़े की थैलिया लेकर ही आए ताकि शहर के बार्डों को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके।

खेल मैदानों की सुरक्षा खिलाड़ी भी करे

शहर के नेहरू स्टेडियम, कालेज ग्राउण्ड, हनुमान ताल सहित अन्य मैदानों में सुबह मार्निंग वाँक करने और खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने आए सैकड़ों लोगों को आज सुबह सफाई मित्र समूह की टीम ने स्वच्छता का पाठ पढ़ाया है। यहां आने वाले लोगों को समझाया गया कि खेल मैदानों को भी अपने घर या दुकान का परिसर समझे और यहां स्वच्छता बनाने में अपना योगदान दे। अगर कोई दूसरा भी यहां कचरा फेंकता है तो उसे रोके या नगर निगम की स्पॉट फाईन टीम को सूचित करे।

सफाई मित्रों का सम्मान कर उन्हे उत्साहित किया

नगर निगम कार्यालय परिसर में आयोजित एक भव्य समारोह में नगर की सफाई व्यवस्था से जुड़े और स्वच्छता बनाए रखने वालें सफाई मित्रों का सम्मान शाल, श्रीफल, प्रमाण पत्र और साफा बांधकर किया गया।

नगर निगम और सफाई मित्र समूह के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मान समारोह में स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह, पर्वत हाड़, किरण चौहान और मोनिका चौहान ने यहाँ सफाई संरक्षक, कचरा संग्रहण वाहन चालक, हेल्पर व दारोगाओं का सम्मान किया।

इनका हुआ सम्मान –

सफाई मित्र सम्मान समारोह के दौरान जितेन्द्र, अफसार अब्बासी, दिलीप पैमाल, अ. वहाब, चंदन तंवर, कुंदन धुलिया, शरतचन्द्र खरे, मोनिका चौहान, कृष्ण देसाई, कमल, हेमन्त, लखन सुल्तान, गुलाबचन्द्र, बज्रमोहन खरे, विजय खरे, मजूबाई, देवकन्या, सादिक, मुकेश बैरागी, शुभम पैमाल, आनन्द अनिल चनाल, राकेश दुलीचन्द्र, सतीश खरे और स्वच्छता के इस अमृत महोत्सव में सहयोगी संस्था के राजा ठाकुर और दिव्या पाटीदार का सम्मान किया गया।

नियम विपरित किए गए निर्माण हटाए गए

जिला, निगम व पुलिस विभाग की संयुक्त मुहिम के तहत शहर सीमा के ऊंचाला रोड़, बजरंग नगर व अर्जुन नगर से हटाए गए अतिक्रमण

रत्नाम 02 अक्टूबर । कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश और निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के मार्गदर्शन में आज से अवैध निर्माण और अतिक्रमण से कई बीघा जमीन मुक्त कराई गई है। ऊंचाला रोड़, बजरंग नगर, अर्जुननगर व आसपास के क्षेत्रों में आज शुरू हुई यह मुहिम आगे भी सतत जारी रहेगी।

आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि कालोनी विकास की अनुमति के बिना अवैध रूप से कालोनी निर्माण करने पर मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के अन्तर्गत अवैध कालोनाईजेशन के तहत एफआईआर दर्ज कराई जायेगी तथा नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण तोड़ने हेतु निगम द्वारा निर्धारित 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से राशि वसूली जायेगी जिसके तहत उक्त कालोनी निर्माण करने वालों को अवैध निर्माण तोड़ने की राशि वसूलने हेतु शीघ्र नोटिस जारी किये जा रहे ह। श्री झारिया ने बताया कि अवैध कालोनियों और शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम सतत जारी रखी जाएगी।

जिला, निगम और पुलिस प्रशासन की इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान शनिवार को पाया गया कि ऊंचाला रोड़ पर श्री तेजसिंह पिता शंभूसिंह धबाई निवासी धबाईजी का वास ने सर्वे क्रमांक 1009-1 रकबा 4.260 हेक्टर में से ऊंचाला रोड़ तरफ की भूमि पर किए गए अवैध कालोनी का निरीक्षण किया गया। मौके पर पाया गया कि भूमि स्वामी तेजसिंह ने सीमेन्ट-कांक्रीट से 2 किमी सड़क बनी पाई गई तथा सड़क के सहारे को भूमि भूखण्डों के रूप में विभाजित की जाकर सीमेन्ट-कांक्रीट के पोल लगाए गए हैं। इन भूखण्डों में से कुछ भूखण्डों पर पुराने मकान बने पाए गए तथा एक भवन निर्माणाधीन है।

नगर निगम अधिकारियों ने जब यहाँ अवैध कालोनी निर्माण पाया तो अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक गेहलोत, नायब तहसीलदार पूजा भाटी, राजस्व निरीक्षक शुभम तिवारी, नगर पुलिस अधीक्षक हेमन्त चौहान व कार्यपालन यंत्री सुरेन्द्र चन्द्र व्यास, जीके जायसवाल, श्यामकुमार सोनी प्र.सहायक यंत्री, उपयंत्री सुश्री अनिता ठाकुर, राजेश पाटीदार, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर की उपस्थिति में जेसीबी व डम्पर टेक्ट्रर की सहायता से यहाँ से अतिक्रमण हटाया गया। इस पूरी कार्रवाई की वीडियों रिकार्डिंग कराई जाकर पंचनामा भी बनाया गया है।

इसी तरह अर्जुन नगर क्षेत्र में फिरोज टीनवाला पिता मोहसैन ने सर्वे नम्बर 135-2 रकबा 0.300 हेक्टर भूमि पर अवैध कालोनी का निर्माण शुरू कर दिया था। अधिकारियों ने

निरीक्षण में पाया कि टीनवाला ने यहां डब्ल्यूबीएम की 1 किमी सड़क एवं आरसीसी चेम्बर आदि का भी निर्माण कर लिया है। निरीक्षण में भूमि स्वामी का यह कृत्य अवैध कालोनी निर्माण का पाया गया। इस अवैध कालोनी पर हुए निर्माण को निगम प्रशासन के संसाधनों से ध्वस्त किया गया है।

दिलीप नगर निवासी कमला पिता समरथमल चौपड़ा ने भी भूमि पर अवैध कालोनी का निर्माण शुरू कर दिया था। यहां इन्होने भी सड़क सहित अन्य निर्माण कार्य शुरू कर दिए थे। अधिकारियों ने यहां दोपहर से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई शुरू की जो शाम पांच बजे तक चलती रही।

2 अक्टूबर को 81 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

रतलाम 02 अक्टूबर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम क कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 02 अक्टूबर शनिवार को 81 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

02 अक्टूबर शनिवार को डम्पर से 29565, ट्रेक्टर से 7105, मैजिक से 980, काम्पेक्टर सूखा कचरा 21190 व गीला कचरा 22865 किलो इस तरह कुल 81705 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

नो पार्किंग में खड़े 11 वाहनों को जब्त कर वसूला जुर्माना

रतलाम 01 अक्टूबर। नगर में ऐसे नागरिक जो कि अपने वाहनों को नो पार्किंग में खड़ा कर यातायात व्यवस्था को बाधित करते हैं, उनके वाहन जब्त कर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार चलाई जा रही है जिसके तहत 02 अक्टूबर शनिवार को नो पार्किंग में खड़े 11 वाहनों को नगर निगम की क्रन से जब्त कर संबंधितों से जुर्माना वसूला गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार 02 अक्टूबर शनिवार को चौमुखीपुल, दिलबहार चौराहा, घांस बाजार व चांदनी चौक क्षेत्र में नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर निहित-चेतन मलिक, अनिता-थामस, रणवीरसिंह-शंभुसिंह रणावत पर 500-500, समीर-बाबु खान, राजेश-धन्नालाल, मनसुख-मंजूर, सुनील-कन्हैयालाल खारीवाल, रितेश-कन्हैयालाल परिहार, जितेन्द्र-बाबुलाल, प्रताप-रघुनाथ, मोहम्मद-मो 0 युसुफ पर 200-200 रुपये का जुर्माना किया गया।

नगर निगम के आईटी सेल में बनाये जा रहे हैं आयुष्मान कार्ड

रतलाम 02 अक्टूबर। आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे हैं इस हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजना के तहत नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नगर निगम के विकास शाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे हैं।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर के शेष रहे हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड

निःशुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

1467 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 27 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 02 अक्टूबर। नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूँजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धि विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु राशि रूपये 10,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 3373 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से 1705 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 1427 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूँजी हेतु राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 38 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 150 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 209 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 35 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 25 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 5 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 3 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 2 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 2 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सङ्कोचों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 02 अक्टूबर। शहर की मुख्य सङ्कोचे सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सङ्कोचों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलों के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ हो संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलों को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सङ्कोचों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 02 अक्टूबर । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक ज्ञान में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक ज्ञान में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 02 अक्टूबर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 02 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 02 अक्टूबर । स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर—1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले—नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले—नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ—सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ—सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 02.10.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.